भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1495

जिसका उत्तर सोमवार, 9 फरवरी, 2026/20 माघ, 1947 (शक) को दिया गया

न्यूनतम शेष राशि नहीं बनाए रखने पर जुर्माना

1495. श्रीमती माला राय:

डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंक/निजी क्षेत्र के बैंक न्यूनतम शेष राशि की कमी, एटीएम के उपयोग और एसएमएस अलर्ट पर अत्यधिक शुल्क लगा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा जुर्माने और सेवा शुल्क के माध्यम से अर्जित किए गए राजस्व का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का आम ग्राहकों की सुरक्षा के लिए अनुचित बैंकिंग शुल्कों को विनियमित करने अथवा सीमित करने का विचार है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): बचत बैंक खातों में न्यूनतम शेष राशि न रखने से संबंधित शुल्क, निर्धारित निःशुल्क सीमा से अधिक एटीएम लेनदेन और एसएमएस अलर्ट के लिए शुल्क सहित, बैंकों द्वारा सेवा प्रभार लगाने का अधिकार बैंकों के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मौजूदा निर्देशों से नियंत्रित होता है, जिसके अनुसार ऐसे प्रभार उचित, पारदर्शी और सेवाओं को प्रदान करने की लागत के अनुरूप होने चाहिए।

इसके अलावा, बैंक शून्य-शेष बचत खाते भी प्रदान करते हैं, जिनमें बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट (बीएसबीडीए) और प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत खोले गए खाते शामिल हैं, जिनमें किसी न्यूनतम शेष राशि को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होती है और जमा, निकासी और एटीएम उपयोग जैसी बुनियादी बैंकिंग सेवाएं बिना किसी प्रभार के प्रदान की जाती हैं, और न्यूनतम शेष राशि न रखने पर कोई दंडात्मक प्रभार नहीं लगाया जाता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने ग्राहक केंद्रियता बढ़ाने के लिए अपनी बोर्ड अनुमोदित नीतियों और वाणिज्यिक विचारों के अनुसार नियमित बचत बैंक खातों में न्यूनतम शेष राशि प्रभार को माफ किया है या उसे युक्तिसंगत बनाया है।

(ग): भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सूचित किया है कि वह सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा जुर्माने और सेवा प्रभारों से अर्जित राजस्व से संबंधित आंकड़े नहीं रखता है। तथापि, सरकारी क्षेत्र के बैंकों से प्राप्त सूचना के आधार पर पिछले पांच वर्ष के दौरान जुर्माने और सेवा प्रभारों के माध्यम से अर्जित राजस्व निम्नानुसार है:-

(राशि करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	**न्यूनतम शेष राशि में गिरावट**	**एटीएम उपयोग***	**एसएमएस अलर्ट**
2020-21	1,637.41	-416.68	1,044.32
2021-22	1,805.75	-507.49	1,282.03
2022-23	2,294.68	-451.46	1,193.19
2023-24	2,909.10	-594.12	977.28
2024-25	2,889.05	-647.32	1,218.60

*ग्राहकों से एकत्र किए गए एटीएम नकद निकासी प्रभारों के कारण बैंक द्वारा अर्जित आय/अन्य बैंकों से अर्जित इंटरचेंज शुल्क अन्य बैंकों को भुगतान किए गए इंटरचेंज शुल्क के रूप में *समायोजित व्यय*

(घ) और (ड.): आम ग्राहकों को अनुचित बैंकिंग प्रभारों से बचाने और उनके हितों को पूरा करने के लिए शून्य-शेष वाले खाते उपलब्ध कराए गए हैं और बुनियादी बैंकिंग सेवाओं के लिए मुफ्त सीमाएं निर्धारित की गई हैं। आरबीआई बैंकों की प्रथाओं पर पर्यवेक्षी निगरानी करता है, और सरकार, आरबीआई के परामर्श से, सभी के लिए बैंकिंग सेवाओं तक सस्ती और समावेशी पहुंच को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल बैंकिंग अवसंरचना के विस्तार और वित्तीय साक्षरता/वित्तीय समावेशन पहल के माध्यम से बैंकों से जुड़ी रहती है।

*****